न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 68/2019

1. रोहताश सिंह पुत्र अनेसिंह
2. बिशनसिंह पुत्र रोहताश सिंह
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रोताशसिंह
   समस्त जातियान् राजपूत निवासीयान् राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

रेस्पोन्डेन्ट

2. रामावतार पुत्र लीलाराम खटीक निवासी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
3. नरेशसिंह पुत्र मनरूपसिंह
4. मामराज पुत्र गोपालसिंह
5. रतनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
6. हरीश पुत्र रतनसिंह
   समस्त जातियान् राजपूत निवासीयान् राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
7. सुशीला पत्नी बाबूलाल
8. कैलाश पुत्र ताराचन्द
9. दीनदयाल पुत्र ताराचन्द
10. दौलत पुत्र गोपी
    समस्त जातियान् स्वामी निवासीयान् राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बिहारीसिंह राजपूत
12. हरिपाल पुत्र सुल्तान मीणा
13. श्योरतनसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत
14. रमेश सिंह पुत्र मामनसिंह राजपूत
15. रतन कंवर पुत्री मूलसिंह राजपूत
16. मालीराम पुत्र मागू मीणा
17. रामपालसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत
18. रामपाल पुत्र भगवाना मीणा
19. लक्ष्मण पुत्र सुल्तान मीणा
    समस्त निवासीयान् राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

तरमीमी रेस्पोन्डेन्ट

अपील जेर दफा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1707 दिनांक 12/01/2011 तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी रकबा 882/36.17 हैक्टर वाके मौजा राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

निर्णय

दिनांक 6.1.2022

अपीलान्ट ने नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत खसरा नम्बर 882/36.17 हैक्टर वाके मौजा राजनौता से कथित होकर उक्त अपील पेश की है जो प्रस्तुत अपील निम्नभांति बिन्दुवार पेश हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 882/36.17 हैक्टर वाके मौजा राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है, जो चारागाह भूमि कागजात् माल में दर्ज है। उक्त चारागाह भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गान के वक्त से पुख्ता मकानात् बने हुये हैं तथा उक्त चारागाह भूमि का कुछ रकबा आबादी भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ग्राम पंचायत राजनौता ने ख.नं. 882 में से आबादी भूमि के लिए सेट अपार्ट करने का प्रस्तुत 18/11/2010 को पारित किया गया, जिसकी पालना में 1.00 हैक्टर भूमि सेट अपार्ट कर नामा.सं. 1707 दिनांक 20/01/2011 के द्वारा रेस्पोडेन्ट एक द्वारा कागजात् माल में गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गयी, जिसका एकनामा नम्बर 4205/882 रकबा 1.00 गै.मु. आबादी भमि दर्ज कर दिया तथा नक्शा ट्रेस में उक्त 1.00 हैक्टर भूमि को नक्शा ट्रेस में एक जगह दर्शा दिया गया जबकि आबादी अन्य जगह भी बसी हुयी थी तथा नक्शा ट्रेस में 1.00 हैक्टर भूमि चार अलग–अलग सीनां पर जहा जहा आबादी बसी हुयी थी उसे नक्शा ट्रेस में दर्शाना चाहिए था किन्तु तहसीलदार कोटपूतली ने मनमर्जी से इन्तकाल संख्या 1707 दिनांक 12/01/2011 दर्ज कर नक्शा ट्रेस में मनमाने ढंग से 1.00 हैक्टर रकबा आबादी भूमि के लिए आरक्षित कर दिया तथा सम्पूर्ण 1.00 हैक्टर रकबे को एक ही स्थान पर दर्शा लिया जबकि उक्त स्थान पर आबादी भूमि 1100 वर्गमीटर रकबे में ही बसी हुयी है किन्तु कुछ प्रभावशाली लोगों व तत्कालीन सरपंच इन्ही के परिवार के होने के कारण से इन्तकाल संख्या 1707 तहसीलदार कोटपूतली से साजबाज होकर अपने मकानों के पास सम्पूर्ण आबादी भूमि का दर्ज कराकर नक्शा ट्रेस में दर्ज करवा दिया जो इन्तकान सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 मनमाना विधि विरूद्व है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 कतई गलत मौका के खिलाफ तथा कानून के खिलाफ है हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि तहसीलदार कोटपूतली का नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 मनमाना कयास पर आधारित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि आबादी भूमि का खसरा नम्बर 882 जिससे आबादी भूमि का नया नम्बर 4205/882 रकबा 1.00 हैक्टर का बना है। यह भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुयी थी जिसकी तरमीम एक जगह हो गयी, जबकि उक्त भूमि में जो आबादी बसी हुयी थी उसको चार भागों में तरमीम नक्शा ट्रेस में किया जाना चाहिए था किन्तु तहसीलदार ने मनमानी ढंग से कागजात् माल में तरमीम के आदेश दिये इसलिए नामा. आदेश अपास्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
(जयपुर)

5. यह है कि नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 व इसके आधार पर की गयी तरमीम से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के करीब 26 परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल सका तथा केवल मात्र कुछ परिवार ही इसका लाभ ले रहे है तथा उनके मकानात् बने हैं। उसका रकबा केवल मात्र 1100 वर्गमीटर है तथा इतने रकबे में आबादी बसी हुयी होने के कारण 1100 वर्गमीटर रकबा ही आबादी में दर्ज किया जा सकता है। शेष भाग में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के मकान बने हुये है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 1.00 हैक्टर भूमि जो आबादी के लिए आरक्षित की गयी थी उसका आबादी के हिसाब से मौका मुआयना किया गया था। मौका रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जिसमें 04 ब्लॉक A B C D में 1.00 है0 भूमि आबादी में दर्शा दी गयी है, जबकि वहां आबादी केवल 1100 वर्गमीटर में है तथा बी.सी.डी ब्लॉक में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस् के नाम दर्शाये गये है तथा जितने रकबे पर आबादी बसी हुयी है उसका विवरण दर्शाया हुआ है तथा इसी मुताबिक मौके पर आबादी बसी हुयी है तथा तहसीलदार कोटपूतली को आबादी भूमि के लिए आरक्षित 1.00 है0 भूमि का इन्तकाल दर्ज करते समय पर बसी हुयी आबादी का सर्वेक्षण कर आबादी की बसावट के मुताबिक तरमीम करनी चाहिए थी किन्तु तहसीलदार कोटपूतली ने मनमाने ढंग से इन्तकाल दर्ज कर इसकी तरमीम मनमाने ढंग से प्रभावशाली लोगों को नाजायज लाभ दिलाने की नियत् से की है। इसलिए तहसीलदार कोटपूतली का नामा. आदेश अवास्त किया जाने योग्य है।

6. यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा कई बार लिखित निवेदन किया कि आबादी भूमि ख.नं. 4205/882 वाके मौजा राजनौता जो आबादी भूमि के विस्तार के लिए आरक्षित की गयी है उसकी तरमीम नक्शे में एक जगह हो गयी उसको चार बराबर–बराबर भागों में तरमीम के लिए आवेदन किये गये पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी पटवारी हल्का ने मौके के अनुसार रिपोर्ट पेश की जगह उसके बावजूद भी आप तक उक्त नामा. के आधार पर की गयी कार्यवाही बाबत तरमीम को दुरूस्त नहीं किया गया तथा इन्तकाल 1707 वाके मौजा राजनौता 1.00 है0 भूमि का दर्ज किया गया है उसमें तरमीम एक जगह दर्ज कर दी गयी जहां आबादी केवल 1100 वर्गमीटर में बसी हुयी है तथा केवल इसी जगह तरमीम रहने से वास्तविक प्रयोजन सिद्व नहीं होता है। आबादी भूमि का इन्तकाल भी बसी हुयी आबादी के रकबे के मुताबकि दर्ज तस्दीक किया जाना चाहिए था ऐसी सूरत में नामा. मनमाना विधि विरूद्व एवं मौका एवं पत्रावली के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने भूमि की तरमीम बाबत राजस्व अधिकारियों से आवेद किये तो अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व जयपुर ने अपने पत्रांक 25/7/2019 के द्वारा जाहिर किया कि इस प्रकरण के बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि सम्बन्धित पक्षकारान् एल.आर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर विधिक प्रकिया के अनुसार रिलिफ प्राप्त कर सकते है और आबादी की भूमि की तरमीम मौके की स्थिती के अनुरूप नहीं हो पायी है तथा नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 जो मौका के विपरीत दर्ज दस्दीक किया

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है। उसके स्थिर रहते अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि आबादी के लिए केवल मात्र 1.00 हैक्टर भूमि सैट अपार्ट की गयी है, जिसकी तरमीम एक ही जगह कर दी गयी है ऐसी सूरत में नामा.सं. 1707 निरस्तनीय है।

8. यह है कि नामा. आदेश 12/01/2011 बाबत नामा.सं. 1707 वाके मौजा राजनौता प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

9. यह है कि अति. कलक्टर–प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व जयपुर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 25/7/2019 के द्वारा राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर सहायता प्राप्त करने बाबत पत्र देने पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को माननीय न्यायालय में अपील पेश करना आवश्यक हुआ है और बिना देरी माननीय न्यायालय में अपील पेश है जो अन्दर मियाद पेश है फिर भी प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र अलग से पेश है।

10. यह है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट के उक्त अपील में अपीलान्ट के समान हितनिहित है, लेकिन अपील पेश करने के वक्त मौजूद नहीं होने के कारण तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनाया गया है।

11. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है तथा अपील में श्रीमान् को श्रवणाधिकार हासिल है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत हाल ख.नं. 882/36.17 हैक्टर वाके मौजा राजनौता में से 1.00 है0 भूमि जो आबादी भूमि के विस्तार हेतु आरक्षित की गयी है उसको मौका पर बसी हुयी आबादी के अनुरूप चार बराबर–बराबर भागों में आरक्षित कर कागजात् नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को आदेश फरमावें।

12. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गयी तथा रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील संलग्न पत्रावली किये गये। तरतीबी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

13. प्रकरण में तहसीलदार पावटा से आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि पर आबादी बसी हुयी है, जिसकी तरमीम एक जगह पर होना जाहिर किया है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिती की रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार पावटा द्वारा अपने पत्रांक 5040 दिनांक 29/12/2021 के द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रेषित की है जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिती की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि राजस्व कैम्प (प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010) में कैम्प सीलि राजनौता में ख.नं. 882 रकबा 36.17 हैक्टर में से 1.00 है0 चारागाह भूमि का आबादी हेतु सैट अपार्ट बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर कैम्प प्रभारी श्रीमान् सहायक कलक्टर द्वारा ख.नं. 882 रकबा 36.17 है0 किस्म चारागाह में से 1.00 है0 भूमि आबादी हेतु सैट अपार्ट करने के आदेश

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

दिये। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर दिया गया एवं प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस में चिन्हित/प्रस्तावित जगह अनुसार राजस्व नक्शें में की गयी तरमीम जो आवंटन के समय प्रस्तावित की गयी थी। इस बाबत ग्रामवासियों ने आपत्ति जाहिर की जिसका पुनः परिक्षण करने पर मौके अनुसार उक्त तरमीम चार पृथक–पृथक जगह होनी चाहिए, जिसका पुनः प्रस्ताव बनाकर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर को वास्ते स्वीकृती हेतु भिजवाया गया था क्योंकि की गयी तरमीम आवंटन आदेश के साथ संलग्न प्रस्तावित जगह अनुसार ही की गयी थी जिसमें संशोधित की अधिकारिता का कलक्टर साहब को होने से प्रस्ताव भिजवाया गया था। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् एल.आर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर विधिक प्रकिया अनुसार सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रकरण में आवंटित भूमि की तरमीम मौके अनुसार चार पृथक–पृथक स्थानों पर प्रस्तावित की गयी थी जिसमें चार पृथक–पृथक ब्लॉक ABCD बनाकर इन ब्लॉको में निवास कर रहे परिवारों की सूची भी संलग्न की गयी थी।

14. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य व सबूत एवं तहसीदार द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि आ.ख.नं. 882/36.17 है0 वाके मौजा राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है जो चारागाह दर्ज है। वकील अपीलान्ट का बहस में कथन है कि उक्त चारागाह भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गान के समय से पुख्ता मकान बने हुये है। ग्राम पंचायत राजनौता ने ख.नं. 882 में से आबादी भूमि के लिए भूमि सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव 18/11/2020 को लिया गया जिसकी पालना में चारागाह भूमि में से 1.00 है0 भूमि सैट अपार्ट का नामा. 1707 दिांक 20/01/2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा गै.मु. आबादी का दर्ज कर दिया जिसका नया नम्बर 4205/882 रकबा 1.00 है0 गै.मु. आबादी भूमि दर्ज कर दिया। नक्शा ट्रेस में 1.00 है0 भूमि एक ही जगह दर्शा दी गयी, जबकि आबादी भूमि अन्य जगह भी बसी हुयी थी। चार अलग–अलग जगहों पर आबादी बसी हुयी थी उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दर्शाना चाहिए था किन्तु तहसीलदार ने मनमर्जी से नामा.स. 1707 दिनांक 22/01/2011 दर्ज कर नक्शा ट्रेस में मनमाने ढंग से आबादी भूमि का रकबा 1.00 है0 आरक्षित कर सम्पूर्ण रकबा 1.00 है0 शेष रकबे को एक ही स्थान पर दर्शा दिया गया, जबकि उक्त स्थान पर आबादी भूमि 1100 वर्गमीटर में बसी हुयी है। इसलिए उक्त नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 मनमाना विधि विरूद्ध है। इसलिए अपास्त किया जावें।

15. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य व सबूत एवं तहसीदार द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि आ.ख.नं. 882/36.17 है0 वाके मौजा राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है जो चारागाह दर्ज है। वकील अपीलान्ट का बहस में कथन है कि उक्त चारागाह भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

बुजुर्गान के समय से पुख्ता मकान बने हुये है। ग्राम पंचायत राजनौता ने ख.नं. 882 मे से आबादी भूमि के लिए भूमि सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव 18/11/2020 को लिया गया जिसकी पालना मे चारागाह भूमि मे से 1.00 है0 भूमि सैट अपार्ट का नामा. 1707 दिनांक 20/01/2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा गै.मु. आबादी का दर्ज कर दिया जिसका नया नम्बर 4205/882 रकबा 1.00 है0 गै.मु. आबादी भूमि दर्ज कर दिया। नक्शा ट्रेस मे 1.00 है0 भूमि एक ही जगह दर्शा दी गयी, जबकि आबादी भूमि अन्य जगह भी बसी हुयी थी। चार अलग-अलग जगहो पर आबादी बसी हुयी थी उसी अनुसार नक्शा ट्रेस मे दर्शाना चाहिए था किन्तु तहसीलदार ने मनमर्जी से नामा.सं. 1707 दिनांक 22/01/2011 दर्ज कर नक्शा ट्रेस में मनमाने ढंग से आबादी भूमि का रकबा 1.00 है0 आरक्षित कर सम्पूर्ण रकबा 1.00 है0 शेष रकबे को एक ही स्थान पर दर्शा दिया गया, जबकि उक्त स्थान पर आबादी भूमि 1100 वर्गमीटर में बसी हुयी है। इसलिए उक्त नामा.सं. 1707 दिनांक 12/01/2011 मनमाना विधि विरूद्ध है। इसलिए अपास्त किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा अपने पत्रांक 5040 दिनांक 29/12/2021 के द्वारा प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्थान कैम्प प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 के कैम्प स्थित राजनौता में आ.ख.नं. 882 रकबा 36.17 में से 1.00 है0 चारागाह भूमि का आबादी हेतु सैट अपार्ट बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर उक्त ख.नं. 882 में से 1.00 है0 भूमि आबादी हेतु सैट अपार्ट करने के सहायक कलक्टर कोटपूतली ने आदेश दिये। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल कर दिया एवं प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित जगह अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गयी। उक्त तरमीम के विरूद्ध ग्रामवासियो ने अपापित्त जाहिर की जिसका पुनः परीक्षण करने पर मौके अनुसार उक्त तरमीम मौके अनुसार चार पृथक-पृथक जगह होनी चाहिए थी जिसका पुनः प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया था। क्योंकि तरमीम आवंटन आदेश के संलग्न प्रस्तावित जगह अनुसार ही की गयी थी। इसलिए उसमें संशोधन की अधिकारिता श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को होने से प्रस्ताव भिजवाया गया था। इस बाबत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर आदेशित किया गया कि सम्बन्धित पक्षकार एल.आर एक्ट प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर विधिक प्रकिया अनुसार सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रकरण मे आवंटित भूमि की तरमीम मौके अनुसार चार पृथक-पृथक स्थान पर प्रस्तावित की गयी थी जिसमें चार पृथक-पृथक ब्लॉक ABCD बनाकर इन ब्लॉक मे निवास कर रहे परिवारों की सूची भी संलग्न की गयी थी। प्रार्थी/अपीलान्ट मूल आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाने के आदेश फरमावें।

चूँकि पत्रावली पर राजस्व रिकॉर्ड एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया नामा.सं. 1707 ख.नं. 882 रकबा 36.17 किस्म चारागाह वाके मौजा राजनौता मे से नया ख.नं. 4205/882 रकबा 1.00 है0 किस्म मे

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

मु. आबादी ग्राम पंचायत राजनौता आबादी सैट अपार्ट का तहसीलदार कोटपूतली (जयपुर) द्वारा दिनांक 12/01/2011 को दर्ज किया जाना पाया गया। मुताबिक तहसीलदार पावटा की वस्तुस्थिति रिपोर्ट अनुसार राजस्व कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प सलि राजनौता के आबादी भूमि का प्रस्ताव सैट अपार्ट हेतु पेश होने पर सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा ख.नं. 882 रकबा 36.17 में से 1.00 है0 भूमि का सैट अपार्ट करने के आदेश दिये गये इसकी पालना में तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया है एवं प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस में तरमीम दर्शा दी गयी, जबकि उक्त तरमीम मौका स्थिति अनुरूप चार जगह पृथक–पृथक तरमीम तहसीलदार को दर्शानी चाहिए थी। प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस की तरमीम बाबत ग्रामवासियों की शिकायत होने पर आवंटित भूमि की तरमीम मौके अनुसार चार पृथक–पृथक स्थान पर प्रस्तावित तहसीलदार द्वारा की गयी तथ पृथक–पृथक ब्लॉकABCD बनाकर उक्त ब्लॉकों में निवास कर रहे परिवारों की सूची भी संलग्न की गयी। पूर्व में तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से उक्त नामा.सं. 1707 दर्ज कर नक्शा ट्रेस में 1.00 है0 भूमि आरक्षित कर सम्पूर्ण रकबा 1.00 है0 एक ही जगह दर्शा दिया जबकि उक्त स्थान पर 1100 मीटर भूमि में आबादी बसी हुयी है। इसलिए मोके स्थिति अनुरूप आवंटन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में तरमीम नहीं की गयी तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से उक्त आवंटित भूमि खोला जाकर एक ही स्थान पर प्रस्ताव के संलग्न नक्शा टे स में 1.00 है0 भूमि की तरमीम कर दी गयी जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामा.सं. 1707 वाके मौजा राजनौता स्वीकार द्वारा 22/01/2011 को अपास्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा.सं. 1707 स्वीकार दिनांक 12/01/2011 वाके ग्राम राजनौता को अपास्त किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 882/36.17 है0 वाके मौजा राजनौता तहसील पावटा में से 1.00 है0 भूमि आबादी भूमि विस्तार हेतु आरक्षित की गयी है उसको मौके पर बसी हुयी आबादी के अनुरूप पृथक–पृथक भागों में आरक्षित कर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में मौका स्थिति अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुरूप पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

17. निर्णय आज दिनांक 06.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)